जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 09 / डी– 1171 दिनांकः– 10-8-09

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 55वी बैठक दिनांकः 07.8.09 को पूर्वान्ह 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :–

क्र. सं	जो. नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		55:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 54वीं बैठक दिनांक 23.07.09 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन एवं 50वीं से 54वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा	I. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 54वीं बैठक दिनांक 23.07.09 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन किया गया। II. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **50वीं बैठक** दिनांक 18.2.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 50:3 के संदर्भ में दुकान के उपर छत के वाणिज्यिक आवंटन के लंबित प्रस्तावों के जोनवार सूचना सभी जोन्स से प्राप्त हो गई है। उपायुक्त जोन 7 ने दूकान संख्या 2 कि छत का वर्तमान वाणिज्यिक आरक्षित दर आवटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ii. प्रस्ताव संख्या 50:6 के संदर्भ में डेयरी योजना में जिन लोगों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं उनके द्वारा भूमि का डेयरी हेतु ही उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं तथा क्या उनके द्वारा पूर्व में चलाई जा रही डेयरियों को नवआवंटित डेयरी योजना के भूखण्डों पर शिफ्ट किया गया है अथवा नहीं इस संबंध में जोनल अभियन्ता 12ए की रिपोर्ट के अनुसार कुल आवंटित 484 भूखंडों में से 62 ने मौके पर निर्माण किया हैं इनमें से डेयरी उपयोग में लिये गये भूखण्ड केवल 20 ही हैं। निदेशक अभियान्त्रिकी से जोनल अभियन्ता के स्पष्टीकरण बाबत टिप्पणी अप्राप्त है। निदेशक अभियांत्रिकी को निर्देशित किया गया कि वे अपनी टिप्पणी आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। II. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **51वीं बैठक** दिनांक 27.2.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्देश दिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 51:4(1) 33के.वी. ग्रिड सब स्टेशन खासाकोठी को स्थानान्तरित करने के क्रम में निर्देश दिये गये कि खसरा नम्बर 9 एवं 26 जो राज्य सरकार के नाम दर्ज है उन्हें जविप्रा के नाम दर्ज करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जिला कलैक्टर जयपुर को पत्र लिखा गया है।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

व्यक्तिशः भी सम्पर्क कर भूमि जविप्रा के नाम कराने के प्रयास किये जावे।

III. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **52वीं बैठक** दिनांक 1.6.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

i. जोनल अभियन्ता 12बी के पत्र दिनांक 04.08.09 के अनुसार योजना के भौतिक सर्वे के लिये बाजार से सर्वेयर लेने व कार्य कराने में समय लगा। सर्वे उपरान्त उपायुक्त जोन–12 की रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड संख्या सी–128, सी–129, सी–152 से 156 का क्षेत्रफल बढ़ रहा हैं। इन आवंटियों को लीज डीड व कब्जा पत्र जारी नहीं किया गया हैं। निदेशक अभियान्त्रिकी से जोनल अभियन्ता के स्पष्टीकरण बाबत टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। निदेशक अभियान्त्रिकी को रिपोट शीघ्र प्रस्तुत करने के र्निदेश दिये गये। यह भी निर्णय लिया गया की जो आवटी बढे हुऐ क्षेत्रफल को आरक्षित दर की दूगनी कीमत पर लेना चाहे पहले उनकी सहमति प्राप्त की जावे। अन्यथा मामला राज्य सरकार को र्प्रषित किया जावे।

ii. प्रस्ताव संख्या 52:7(2) के संबन्ध में सूचना आयोग कार्यालय भवन हेतु प्रस्ताव की अनुपालना जोन उपायुक्त–1 ने अवगत कराया कि संस्थानिक क्षेत्र में एक भूखण्ड के विवाद का निस्तारण हुआ है जिसमें से आवंटन किये जाने पर विचार किया जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि जो भूखन्ड निस्तारित हुआ था उस पर कोर्ट ने दिनांक 23.07.09 को स्थगन दे दिया है। उपायुक्त को निदेशित किया गया कि वे प्राथमिकता से स्टे वेकेट कराने की कार्यवाही करे।

iii. अनुपालना से शेष बिन्दुओं पर क्रियान्विति आगामी बैठक से पूर्व सुनिश्चित की जावे।

IV. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **53वीं बैठक** दिनांक 18.6.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

i. प्रस्ताव संख्या 53:2 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र ग्राम कानोता तहसील बस्सी के संबंध में यह निर्णय किया गया था कि प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र के स्थान पर संस्थानिक करवाया जावे जिसके लिए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.2.09 के अनुसरण में धारा 25(3) व 25(2) की कार्यवाही की जावे। यह भी निर्णय लिया गया था कि इससे पूर्व मौके पर भूमि का पीटी सर्वे करवाया जावे और संस्थानिक आवंटनों के प्रयोजनार्थ इसकी प्लानिंग भी करवा ली जावे। संस्थानिक आवंटनों के लिए 60फीट रोड की कनेक्टीविटी को भी प्लान किया जावे। उपायुक्त जोन 12 ने बताया कि पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु निदेशक (अभियांत्रिकी) को भेजी गई है।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि निदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र की जावें साथ ही निदेशक (आयोजना) भी अपेक्षित प्लानिंग कर अवगत करावे। जोनल अभियंता 12सी ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित भूमि का पीटी सर्वे किया जाकर रिपोर्ट उपायुक्त जोन–12 को उपलब्ध करा दी गयी हैं। निदेशक आयोजना को क्षेत्र कि प्लानिंग वे रोड़ बाबत रिपोर्ट अप्राप्त।

ii. प्रस्ताव संख्या 53:3(2) पार्थ नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए–256 व बी–485, सी–888 व सी–567 के बढे हुए क्षेत्रफल का आवंटन एवं दर तय करने बाबत उपायुक्त जोन–11 ने समिति को बताया कि 3 भूखण्डधारियों को मांग–पत्र जारी कर दिया गया है एवं भूखण्ड संख्या बी–485 का बढा हुआ क्षेत्रफल राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया गया है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रगति से आगामी बैठक में अवगत करवाया जावे।

V. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **54वीं बैठक** दिनांक 23.7.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

i. प्रस्ताव संख्या 54:5 के संबंध में प्रकरण के सभी पहलूओं पर विस्तृत परीक्षण करने हेतु निदेशक (वित्त) को भेजा गया है। परीक्षण कर रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

ii. प्रस्ताव संख्या 54:5(2) बाबूलाल शर्मा को भूखण्ड संख्या 22 से 37 में से 3–3भूखण्डों का समूह बनाकर लॉटरी से एक साथ तीन भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। जोन उपायुक्त ने लॉटरी हेतु पत्रावली सिस्टम एनॉलिस्ट को भिजवा दी गई जो उचित नहीं है। उपायुक्त स्वयं अपने स्तर पर लॉटरी निकालकर भूखण्ड आवंटित करें।

प्रस्ताव संख्या 54:5(6) के संदर्भ में गत एलपीसी की बैठक दिनांक 23.7.09 में 5 विस्थापित व्यक्तियों को रियायती दर पर जरिये लॉटरी भूखण्ड (प्रत्येक 90व.मी.) आवंटन का निर्णय लिया गया था। समिति द्वारा पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए विस्थापित व्यक्तियों को 90व.मी. के स्थान पर 45व.मी. के भूखण्डों का आवंटन किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। पूर्व में इस प्रकार से विस्थापितों को किये गये आवंटनशुदा भूखण्डों की वर्तमान मौका स्थिति (भूखण्ड पर निर्माण किया गया है या रिक्त है आदि बाबत) की जांच कर पूर्व में किये गये 18आवंटनों पर पुनर्विचार हेतु रिपोर्ट समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

2.	9	55:2	200 फीट एयरपोर्ट रोड से प्रभावित मंहत हंसेश्वरगिरी नागा बाबा के मंदिर हेतु ग्राम बुद्धसिंहपुरा में कोर्ट के निर्णय अनुसार 350 वर्ग गज भूमि आवंटन करने बाबत।	आवेदक को 150 वर्गगज निःशुल्क एवं 200वर्गगज भूमि डीएलसी दर के 75प्रतिशत पर आवंटन के प्रस्ताव को स्थगित करने हुए समिति द्वारा जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि एजेण्डा नोट में आवंटन एवं दर निर्धारण के संबंध में पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
3.	12	55:3	श्री प्रहलाद राय कुमावत को स्वप्न लोक योजना में भूखण्ड सं. ए 22 क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर कार्नर भूखण्ड के बदले अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार आवेदक श्री प्रहलाद राय कुमावत को स्वप्न लोक योजना में भूखण्ड सं. ए 22 क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर कार्नर भूखण्ड के बदले अन्य भूखण्ड संख्या बी–82 विनिमय किये जाने का निर्णय लिया गया।
4.	7	55:3(1)	वैशाली नगर योजना सी ब्लाक डिस्पेन्सरी के पास निर्मित दुकान संख्या 2 की छत का वर्तमान वाणिज्यिक आरक्षित दर पर आवंटन बाबत। प्रार्थी श्री रघुवीर शरण अग्रवाल।	प्रस्तावित आवंटन से पूर्व मौके पर सीढियां निर्मित है या नहीं इस सबंध में जोनल अभियंता व जोन उपायुक्त विस्तृत रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव समिति की आगामी बैठक में रखें। समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि जोन–1 व 7 के इस प्रकृति के सभी प्रकरणों को मौके पर सीढियों आदि के निर्माण की रिपोर्ट के साथ समिति के समक्ष एक साथ प्रस्तुत किया जावे।
5.	12	55:3(2)	श्री प्रकाश चन्द शर्मा पुत्र रामकृष्ण शर्मा को हाथोज विस्तार योजना में डी–283 क्षेत्रफल 162व.मी. कॉर्नर होने के कारण उसके बदले डी–281 व डी–282 में से एक भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	प्रस्तावानुसार लॉटरी से विनिमय का निर्णय लिया गया।
6.	10	55:3(3)	घाट की घूणी सुरंग विकास के लिए वन विभाग को भूमि के बदले ग्राम लागडियावास खसरा नम्बर 232/6 में से 14.50हैक्टयर भूमि आवंटित करने बाबत।	प्रस्तावानुसार ग्राम लागडियावास खसरा नम्बर 232/6 में से 14.50हैक्टयर गैरमुमकिन बीड क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
7.	4	55:3(4)	एयरपोर्ट बाउण्ड्री के पास 160फीट रोड में आ रहे भूखण्डधारियों का पुनर्वास करने हेतु।	प्रस्तावित पुनर्वास के संबंध में पूर्व में पुनर्वासित किये गये व्यक्तियों के संदर्भ में विस्तृत परीक्षण कर पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
8.	12	55:3(5)	बीएसएफ ग्रुप हाउसिंग सोसायटी तथा फंटियर, सैक्टर मुख्यालय तथा रिजर्व बटालियन हेतु भूमि हेतु ग्राम बिलोची व ग्राम चौंप में भूमि आवंटन बाबत।	समिति की 52वीं बैठक दिनांक 1.6.09 के प्रस्ताव संख्या 52:7(7) में आवेदक को भूमि के आवंटन का निर्णय लिया जाकर प्रस्ताव अनुमोदनार्थ राज्य सरकार को भिजवाया गया था। ग्राम बगवाडा तहसील आमेर खसरा नम्बर 1247, 1903 व 1922 कुल रकबा 90.92 हैक्टेयर भूमि में से 125एकड भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया था, यह भूमि बीएसएफ को पसन्द नहीं आने की वजह से पूर्व आवंटन को निरस्त करते हुए समिति द्वारा प्रस्तावानुसार ग्राम बिलोची तहसील आमेर के खसरा नम्बर 934 व 963 रकबा 130.97 हैक्टेयर में से 101 एकड़ भूमि फंटियर सैक्टर मुख्यालय, रिजर्व बटालियन व बीएसएफ ग्रुप हाउसिंग सोसायटी हेतु व ग्राम चौंप के खसरा नम्बर 1325 में से एक्सप्रेस हाइवे के दक्षिण दिशा में 24एकड़ भूमि सीमान्त मुख्यालय हेतु

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				भू–उपान्तरण की प्रत्याशा में आवंटन की सिफारिश की गई साथ ही आवंटन की दर निर्धारण एवं आवंटन के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
9.	10	55:3(6)	महिमा शिक्षा समिति को ग्राम गोविन्दपुरा रोपाडा तहसील सांगानेर के खसरा नंबर 364, 426 में से 2.63 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने बाबत्।	समिति की 29वीं बैठक दिनांक 17.4.06 में ग्राम भावगढ बन्धा तहसील सांगानेर की 12.17हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी उसमें से खसरा नम्बर 146 व 180 रकबा 2.63 हैक्टेयर गैरमुमकिन नदी होने के कारण समिति की 39वीं बैठक दिनांक 26.9.07 में उक्त 2.63हैक्टेयर भूमि का आवंटन निरस्त किया गया। संस्था द्वारा इसकी एवज में अन्यत्र भूमि चाही गई। समिति की 45वीं बैठक दिनांक 24.3.08 में ग्राम गोविन्दपुरा रोपाडा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 362, 363, 364, 426 व 427 में से 2.63 हैक्टेयर भूमि आरक्षित रखने का निर्णय लिया गया। निजी विश्वविद्यालय हेतु न्यूनतम 30एकड़ का मानदण्ड निर्धारित है। संस्था को ग्राम भावगढ बन्धा में 9.11हैक्टेयर भूमि जविप्रा द्वारा आवंटित की जा चुकी है। संस्था के पास न्यूनतम 30एकड़ भूमि पूर्व में ही उपलब्ध है। अतः संस्था को आवंटन हेतु 2.63हैक्टेयर भूमि आरक्षित करने हेतु लिये गये निर्णय का पुनरावलोकन कर सर्वसम्मति से निरस्त करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि संस्था द्वारा इस बाबत जमा कराई गई राशि नियमानुसार लौटाई जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई ।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
3- जिला कलक्टर, जयपुर
4- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
6- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
7- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
8- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9- निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
10- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
11- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
12- उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
13- जन सम्पर्क विशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर
14- रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 55–वी बैठक दिनांक 7.8.09 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत आयुक्त, जविप्रा	अध्यक्ष
2.	श्री ललित कुमार गुप्ता, सचिव	सदस्य
3.	श्री भास्कर शर्मा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री ओ.पी. दोराया, निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
5.	श्री एन.एल.मीणा, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व) एवं (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्रीमति दुर्गा जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
7.	श्री जाकिर हुसैन, ए.डी.आर.	विशेष आमंत्रित
8.	श्री महेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–1	विशेष आमंत्रित
9.	श्री गिर्राज अग्रवाल, उपायुक्त जोन–4	विशेष आमंत्रित
10.	श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
11.	श्री हदेश शर्मा, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
12.	श्री अजय असवाल, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
13.	श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
14.	श्री मोहन टावरी, वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	विशेष आमंत्रित
15.	श्री अरविंद जाखड़, तहसीलदार जोन–4	विशेष आमंत्रित
16.	श्री नन्दकिशोर शर्मा, तहसीलदार जोन–7	विशेष आमंत्रित
17.	श्री करतार सिंह तहसीलदार, जोन–2	विशेष आमंत्रित